न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः—367/18 (आरसीएमएस नं. 2018/00154)

1. झूँथाराम पुत्र श्री चन्दाराम, उम्र 73 वर्ष, जाति ब्राहाम्ण, निवासी चन्द्रपुरा (ताबपुरा) तहसील व जिला झुन्झुनू, राजस्थान।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये सहायक लोक अभियोजक जयपुर।

——रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 13.03.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला कलक्टर, झुन्झुनू के आदेश दिनांक 10.09.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान ऊँट अधिनियम 2015 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहहराते हुए कथन किया है कि मुस्तगीस सुमन कंवर पत्नी श्री सुमेर सिंह, जाति राजपूत ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना सदर, झुन्झुनू में दर्ज कराई जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.06.2018 को ग्राम नरसिंहपुरा से जाखडों का बास जाने वाली रोड़ के दाहिनी तरफ खेत में तीन ऊँट व तीन ऊँटनी लावारिस हाल में चरते मिले है इनका प्रयोग यहॉ के व्यापारी दूसरी जगह सप्लाई करते है, इनकी गहनता से जांच की जावें, जिनका मौके पर मालुमात किया तो अलग—अलग जगह पर तीन ऊँट व एक ऊँटनी बंधे हुये मिले जिनके मालिकों से जानकारी की तो उन्होने कृषि उपयोग के लिये बताया आदि--आदि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 166/18 दर्ज कर दौराने अनुसंधान अपीलार्थी की ऊँटनी को जब्त की गई, जिसकी सुपुर्दगी प्राप्त करने हेतु अपीलार्थी ने जिला कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष सुपुर्दगी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिन्होने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 10.09.2018 को यह निर्णित करते हुये खारिज किया कि ऊँटनी के खरीदने की मूल रसीद प्रस्तुत नही की है और ऊँटनी हरियाणा से राजस्थान लाने का कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है जिसको आधार मानते हुये अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2018 न्याय प्रशासन एवं न्याय प्रणाली के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उन्होने कथन किया है कि अपीलार्थी मंदिर का महन्त है और मंदिर के परिसर में ही उसने गाय, बकरी ऊँटनी इत्यादि अपनी दैनिक दिनचर्या के उपयोग—उपभोग एवं कृषि कार्य हेतु पाल रखी है तथा उक्त ऊँटनी अपीलार्थी ने दिनांक 18.01.2018 को 25 हजार रूपये में रामफल पुत्र श्री रतीराम गांव मसुदपुर, जिला हिसार, हरियाणा से खरीद की है जिसका रंग लाल, छः दांत व गर्दन पर छोटा निशान है, उक्त

बात का कोई इन्द्राज नही है और स्वामित्व का भी कोई दस्तावेज पेश नही किया जिसके आधार पर उक्त ऊँटनी अपीलार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जाना उचित नही समझा इस कारण अधीनस्थ न्यायालय का आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त ऊँटनी पशु मेला से क्रय की थी जिसका प्रमाण पत्र भी अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया था तथा ऊँटनी के पहचान बाबत भी तथ्य उल्लेखित किये है, उक्त पहचान पत्र अपीलार्थी द्वारा बताये गये तथ्य की फर्द जब्ती ऊँटनी के तथ्यों से मेल खातें है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त जब्तशुदा ऊँटनी का स्वामित्व अपीलार्थी के पक्ष में नही मानते हुये उक्त ऊँटनी अपीलार्थी को सुपुर्दगी पर नही दी जाकर कानूनी विधिक भूल की है। उन्होने आगे कथन किया है कि अपीलार्थी न्यायालय के आदेशानुसार उक्त ऊँटनी की सुपुर्दगी प्राप्त करने हेतु उक्त सुर्पदगीनामा व जमानतनामा पेश करने को भी तैयार एवं तत्पर है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त अवैध, अनुचित एवं विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2018 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलार्थी को उसकी स्वयं की स्वामित्व एवं अधिपत्य की ऊँटनी को सुपुर्दगी पर देने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तथा उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नही की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न एच0सी0एफ0 हरियाणा सरकार की रसीद क्रमांक 10126 दिनांक 18.01.2018 के द्वारा 25,000/– पच्चीस हजार रूपये में क्रय किया जाना जाहिर होता है ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर यदि उक्त ऊँटनी भविष्य में चोरी की पायी जाती है तो इसके लिये अपीलार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा की शर्त पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, झुन्झुनू द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2018 को निरस्त किया जाता है एवं उक्त जब्तशुदा ऊँटनी अपीलार्थी को 50,000/– पचास हजार रूपये के जमानतनामा एवं सुपुर्दगीनामा पर सुर्पुदी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है।

(के0सी0वर्मा)
संभागीय आयुक्त
जयपुर।